न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 127/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. हगराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री रविन्द्र बोहरा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक – 23/07/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास, प0ह0 रेपड़ावास, भू–अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की कृषि भूमि खाता सं0 339 पुराना खाता सं0 345 के ख0नं0 173, 194, 873, 874 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.8600 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम संग्रामराम अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम हगराम अंकित हैं। प्रार्थी का नाम हगराम के स्थान पर संग्रामराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी का कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम संग्रामराम के स्थान पर हगराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम संग्रामराम के स्थान पर हगराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रेपड़ावास में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1448 दिनांक 22.07.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

जमाबंदी अनुसार राजस्व ग्राम रेपड़ावास के खाता सं0 339 खसरा नंबर 173, 194, 873, 874 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.8600 है0 में संग्रामराम पुत्र भीयाराम हि0 1/16 जाति जाट सा0 देह सह खातेदार दर्ज है। उक्त खातेदार नामा0 सं0 733 (विरासत) स्वीकृत दिनांक 20.05.2015 से दर्ज हुआ हैं। वर्तमान में प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में हंगराम पुत्र भीयाराम दर्ज हैं। उक्त के अलावा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी राजस्व ग्राम रेपड़ावास के खाता सं0 11 ख0नं0 436 रकबा 0.8200 है0 किस्म बा0 अ0 हि0 1/6 व खाता सं0 14 ख0नं0 203 रकबा 1.00 है0 किस्म बा0अ0 सह खातेदार हगराम पुत्र भीयाराम हि0 1/6 कौम जाट सा देह खातेदार दर्ज हैं। संग्रामराम व हंगराम जाति जाट दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, की रिपोर्ट पेश की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम संग्रामराम के स्थान पर हगराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संग्राम व हंगराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने की रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 12/06/2025 के अंक 11, जिल्द सं0 77 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र में हगराम एवं संग्रामराम दोनों ही नाम मेरे ही हैं। जिन दोनो नामों का एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूं। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 5471 4397 5170, पैन कार्ड सं0 CETPR2927A इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम हगराम पुत्र भीयाराम दर्ज हैं। सरहद मौजा रेपड़ावास के नया खाता सं0 11 में भी प्रार्थी का हगराम पुत्र भीयाराम दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम हगराम पुत्र भीयाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम संग्रामराम पुत्र भीयाराम स्थान पर हगराम पुत्र भीयाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम संग्रामराम पुत्र भीयाराम स्थान पर हगराम पुत्र भीयाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 23/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत